यालय बइजलास सौरभ भाम्बु R.A.S उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां (राज.)
प्रकरण संख्या :– 46/2022/दावा/बउनवान/मन्नी उर्फ श्रवणीबाई बनाम राज0 सरकार
जीसीएमएस संख्या 2022/171
निर्णय दिनांक :– 19.11.2025

मन्नी उर्फ श्रवणी बाई पुत्री श्री पांच्या पत्नि श्री बजरंग जाति माली निवासी मांगरोल तहसील मांगरोल हाल निवास सनमानपुरा (सम्मानपुरा) तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज)

.......वादिनी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

......प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री सौरभ भाम्बु (आरएएस)
वकील वादिनी : श्री के.के.सोनी
दायरा दिनांकः 07.04.2022 निर्णय दिनांक : 19.11.2025

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादिनी के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 1145 खसरा नं0 2461 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 2465 रकवा 0.16 है0, खसरा नं0 2468 रकबा 0.36 है0, खसरा नं0 2485 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 2486 रकवा 0.17 है0, खसरा नं0 2487 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 2488 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0. 2489 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0. 2490 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0. 2496 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0. 2503 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0. 2515 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0. 2516 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0. 2517 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0. 3497 रकबा 0.96 है0, खसरा नं0. 3499 रकबा 0.80 है0, कुल किता 16 कुल रकबा 3.60 है0, वाके ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादिनी का नाम मन्नी पुत्री पांच्या दर्ज हो रहा है। जबकि वादिनी का वास्तविक नाम श्रवणी बाई पुत्री पांच्या है। जिसको वादिनी मन्नी पुत्री पांच्या के स्थान पर मन्नी उर्फ श्रवणी बाई पुत्री पांच्या दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादिनी का नाम अन्य दस्तावेजों राशन कार्ड, आधार कार्ड, जनआधार आदि में श्रवणी बाई पुत्री पांच्या दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में मन्नी पुत्री पांच्या के स्थान पर मन्नी उर्फ श्रवणी बाई पुत्री पांच्या दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादिनी का नाम मन्नी पुत्री पांच्या के स्थान मन्नी उर्फ श्रवणी बाई पुत्री पांच्या दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 07.04.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार पीपल्दा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि बजरंगलाल पुत्र कल्याण नि. सन्मानपुरा जाति मानी की शादी पूर्व में श्रवणीबाई से हुई थी, परन्तु श्रवणी बाई के मृत्यु के बाद बजरंगलाल की दूसरी शादी मन्नीबाई से हुई। मौके पर परिवार वालों द्वारा बताया गया कि मन्नीबाई को ही श्रवणीबाई के नाम से पुकारने लगे व सभी दस्तावेज में मन्नीबाई के स्थान पर श्रवणीबाई पत्नी बजरंगलाल जाति माली निवासी सन्मानपुरा तह0. पीपल्दा जिला कोटा ही दर्ज है। अतः उपरोक्त तथ्यानुसार मन्नीबाई व श्रवणीबाई दोनों अलग–अलग महिला है, जिसमें श्रवणीबाई की मृत्यु हो चुकी है। उक्त प्रकरण में राजस्व रेकार्ड में वादनी का नाम मन्नी पुत्री पांच्या के स्थान पर मन्नी उर्फ श्रवणी बाई पुत्री पांच्या सा0 देह दर्ज किया जाना उचित नहीं है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो के आधार वाद अन्तर्गत 88, 89 आर टी एक्ट अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2025 को खुले न्यायालय में मजमेआम सुनाया गया।

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल